

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार कारखाना नियमावली, 1950, बिहार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) नियमावली, 1972, एवं बिहार अन्तराज्तीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 1980 में संशोधन करने के लिए प्रारूप बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2021, प्रारूप बिहार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (संशोधन), नियमावली 2021, प्रारूप बिहार अन्तराज्तीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021 का सूत्रण किया गया है। संशोधन से संबंधित प्रारूप अधिसूचना (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) विभागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/labour> पर दिनांक-08.02.2021 तक उपलब्ध रहेगा। आप से अनुरोध है कि अपना आक्षेप/मन्तव्य उपर्युक्त तिथि तक lcbihar@bihar.gov.in समर्पित किया जाय। मन्तव्य/सुझाव केवल दिये गये ईमेल आई०डी० पर ही समर्पित करें।


(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।